# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## ::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्था/ 2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरजपुरा, दौसा का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूपाखेडी, कपासन जिला चित्तौडगढ किया गया था जिसके विरूद्ध राजेन्द्र प्रसाद गोयल द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 4765/2019 राजेन्द्र प्रसाद गोयल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

अपील संख्या 4765/2019 में माननीय अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.01..2020 द्वारा अपीलार्थी राजेन्द्र प्रसाद गोयल को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में 4 से 5 रिक्त पदों को दर्शाते प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने एवं ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अपील अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वयं के असाध्य रोग से पीड़ित होने को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन/समायोजन डाईट, बसवा दौसा/राउमावि लवाण/सीकरी/गांगल्यावास/अजबपुरा जिला दौसा में प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अपील अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और विभागाध्यक्ष द्वारा उन्हें राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 2486 पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह अपने अधीन राज्य सेवा के कार्मिक को कब व कहां पदस्थापित करे। अपीलार्थी द्वारा चाहे गए विद्यालयों में प्रधानाचार्य का पद रिक्त नहीं है। अपीलार्थी द्वारा विभागीय आदेश दिनांक: 29.09.2019 की अनुपालना में अपने स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी राजेन्द्र प्रसाद गोयल द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बंधित सूचित हो।

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/राजेन्द्र गोयल/4765/2019 दिनांकः 10.02.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/उदयपुर संभाग, जयपुर/उदयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौडगढ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक चित्तौडगढ।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल, प्रधानाचार्य, राउमावि रूपाखेडी, कपासन जिला चित्तौडगढ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)